

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3692]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2018/भाद्र 23, 1940

No. 3692]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRA 23, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

का.आ. 4855(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2018 का 38) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 सितम्बर, 2018 को "राष्ट्रीय प्रंतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण" नाम से ज्ञात राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन की तारीख के रूप में नियत करती है।

[फा.सं. 11-100/2015-एफसी (खंड III)] दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2018

S.O. 4855(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2018), the Central Government hereby appoints the 30thday of September, 2018, as the date of constitution of a National Authority to becalled the "National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority".

[F. No. 11-100/2015-FC (Vol. III)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forest

5464 GI/2018

0

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2018

का.आ. 4856 (अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2018 का 38) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 सितम्बर, 2018 को "राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण" नाम से ज्ञात राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख के रूप में निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियत करती है।

.सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	राज्य/संच राज्य क्षेत्र
1)	(2)	(3)
1.	आन्ध्र प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	आन्ध्र प्रदेश
	अरूणाचल प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	अरूणाचल प्रदेश
2.	असम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	असम
3.	बिहार प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	विहार
4.	छत्तीसगढ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	छत्तीसगढ
5.	भीवा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	गोवा
6.	्राप्तिकरण निर्धि प्रतंशन और गोजना प्राधिकरण	गुजरात
7. °	हरियाणा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश
9.	झारखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	झारखंड
10.	कर्नाटक प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	कर्नाटक
11.	केरल प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	केरल
12.	मध्य प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	्र मध्य प्रदेश
13.	प्राचीक वचरोवण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	महाराष्ट्र
14.	ि	मणिपुर
15.	क्रि पूर्वभाग विशि पूर्वभन और योजना प्राधिकरण	मेघालय
16.	मिजोरम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	मिजोरम
17.	भिजोरम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	ओडिशा
18	ओडिशा प्रतिकरात्मक वनरापण निर्धि अवधन और पोजना प्राप्तिकरण	पंजाब
19	पंजाब प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	राजस्थान
30	राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	सिक्किम
21	सिक्किम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	तमिलनाडु
22	तमिलनाडु प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	तेलंगाना
23	तेलंगाना प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	त्रिपुरा
24	त्रिपुरा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	उत्तर प्रदेश
25	उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	उत्तराखंड
26	उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	
2	 पश्चिम बंगाल प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण 	् पश्चिम बगाल



28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रवंधन और योजना प्राधिकरण	अंडमान गर्न चित्रो
29.	चंडीगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना पारिकाल	र र र राज्यार आप स
30.	राष्ट्राय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
31.	दादरा नगर हवेली प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन औरयोजना प्राधिकरण	र स्थाना सन् दिल्ला

[फा.सं. 11-100/2015-एफसी (खंड III)] दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2018

S.O. 4856(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2018), the Central Government hereby appoints the 30th day of September, 2018, as the date of constitution of State Authorities, to be called the "State Compensatory Afforestation Fund Management and

*(1)	Name of State Authorities	States Aluin
,	The Andhra Product G	States /Union territories
1	The Andhra Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	(3)
2	The Arunachal Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Andhra Pradesh
3	The Assam Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Arunachal Pradesh
4	The Bihar Compensatory Affair .	Assam
		Bihar
5	The-Chhattisgarh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	/ Dinar
6		Chhattisgarh
	The Goa Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	
7	The Gujarat Compensatory Afforestation Fund Management and	Goa Gujarat
	Flanning Authority The Harry C.	
8	The Haryana Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	
9	The Himachal PradeshCompensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Haryana
10	The Jharkhand Compensatory Afforestation Fund Management and	Himachal Pradesh
1		Jharkhand
	The Karnataka Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Karnataka
2	The Kerala Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority -Kerala	
2	The Madhya Pradesh Com	Kerala
	The Maharashtra Composed	Madhya Pradesh
1	and Planning Authority The Manieur G	Maharashtra
F	The Manipur Compensatory Afforestation Fund Management and	Manipur



Do	The Meghalaya Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	ARY [PART II—SE
17	The Mizoram Compensatory Afforestation Fig. 126	Meghalaya
	+	Mizoram
18	The Odisha Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Odisha
19	The Punjab Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Punjab
	The Rajasthan Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	
20	The Sikkim Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Rajasthan
22		Sikkim
	The Tamil Nadu Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Tamil Nadu
	The Telangana Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	
24	The Tripura Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Telangana
2500	The Uttar Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	Tripura
(C)	The Uttarakhand Compensatory Afforcate: (5	Uttar Pradesh
-		Uttarakhand
	The West Bengal Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	West Bengal
-	The Andaman and Nicobar Islands Compensatory Afforestation und Management and Planning Authority	Andaman and Nicobar Islands
T	he Chandigarh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority	
TI	he National Capital Territory Dalla G	Chandigarh
	S Authority	National Capital Territory Delhi
M	ne Dadra Nagar Haveli Compensatory Afforestation Fund anagement and Planning Authority	Dadra Nagar Haveli

[F. No. 11-100/2015-FC (Vol. III)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forest